# न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 1106 दिनांक : 03/09/2025

तहसीलदार,
तहसील, रामपुरा डाबडी,
जिला जयपुर।

विषय :—प्रकरण संख्या 66 / 2025 बउनवानी जडाव बनाम बजरंग सिंह वगै0 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 01.09.2025 की पालना बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 66 / 2025 बउनवानी जडाव बनाम बजरंग सिंह वगै. में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 01.09.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो आप नियमानुसार निर्णय एवं डिकी की पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशिघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः—1. प्रतिलिपि निर्णय व डिकी दिनांक 01.09.2025
2. नजरी नक्शा।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:23 IST
Reason: SelfAttested

Email: acm.amer.jpr@gmail.com
phone no. : 0141-2209013 (O)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

भंवरदेवी बनाम बजरंग

66/25 धारा

| क. आज्ञा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 8/8/25 | पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। इंतजार कुरैजात हेतु दिनांक 12/08/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर | |
| 12/08/25 | पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। तहसीलदार रामपुरा डाबी को कुरैजात हेतु पुनः तहरीर जारी हो। वास्ते कुरैजात हेतु दिनांक 26/08/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर | तहरीर जारी 1541 12/08/2025 |
| 26/08/25 | पत्रावली प्रस्तुत। वादी उप.। इंतजार कुरैजात हेतु दिनांक 28/08/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर | कुरैजात प्राप्त 28/08/2025 |
| 28/08/25 | पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। कुरैजात रिपोर्ट तहसीलदार रामपुरा डाबी से प्राप्त हो चुके है। बहस कुरैजात पूर्ण गई। वास्ते आदेश दिनांक 29/8/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर | |
| 29/08/2025 | पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 01.9.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर | |
| 01/09/2025 | पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप.। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। तहसील प्रस्तुत की ... तहसीलदार रामपुरा-डाबी जयपुर ... के आधार पर बाद डिक्री ... निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर | तहरीर जारी 1106 3/9/25 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

# न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

**पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी**
**आर.ए.एस.**

नियमित वाद संख्या – 66 / 2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 19.05.2025

1. जडावदेवी पत्नी लक्ष्मण
2. पतासी देवी पत्नी बृजमोहन
3. लाडा देवी पत्नी रामनाथ
4. संतोष देवी पत्नी बाबूलाल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

..........वादीगण

**बनाम**

1. बजरंग सिंह पुत्र श्रीलाल जाति बडवा निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

........प्रतिवादीगण

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955**

दिनांक 01.09.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम जयरामपुरा, पटवार क्षेत्र जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 592 पुराना 541 के खसरा नम्बर 1386 / 1949 रकबा 0.7000 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 1 / 6–1 / 6 हिस्सा निहित है एवं खाता संख्या नया 591 पुराना 540 के खसरा नम्बर 1388 रकबा 1.8300 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1 / 6–1 / 6 निहित है तथा शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा हैं। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2076–2079 में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त निरन्तर चलें आ रहें है और अपने–अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है इसलिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं। एतपश्चात वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित सम्पूर्ण [illegible]रान् की भूमि को "विवादित भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा हैं। अब चूँकि वाद अधीन भूमि के बजारू दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी हैं इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में खोट आ गई है और वे विवादित भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये बिना ही संयुक्त खातेदारी की विवादित भूमि के विशेष

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर

भू–भाग पर कब्जा करके पुख्ता पक्का निर्माण करने, विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण इत्यादि करने की अनुचित व विधि विरूद्ध मंशा रखने लग गये और मौके पर भू–माफिया गिरोह के व्यक्तियों को लाकर विवादित भूमि के विशेष भू–भाग की ओर ईशारा करते हुए भूमि विक्रय करने की वार्तालाप करते हैं। जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं हैं। चूँकि दिनॉक 13–05–2025 को प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने एंव पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करने के कुत्सित उद्देश्य से मौके पर निर्माण सामग्री डालने लगे जिसका वादीगण ने विरोध किया तो वह कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने में सफल नहीं हुये तो उन्होंने वादीगण को एलानियों धमकी दी कि वह अन्य सह–हिस्सेदारान् को अपने प्रभाव एंव दवाब में लेकर रातो–रात विशेष भू–भाग पर पत्थर, ईट, बजरी इत्यादि निर्माण सामग्री डाल कर अधिक संख्या में कारीगर, मजदूर लगा कर पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करके रहेगें, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकते हो, तथा मौके पर खडे पेड, वृक्ष को खुर्द–बुर्द व नष्ट करके निर्माण करेगें एंव भूमि का बैचान करेगें, इत्यादि एलानियां धमकी दी। प्रतिवादीगण की उक्त हरकत गैर कानूनी एंव विधि विरूद्ध है एंव विधि, उसको ऐसा करने से निषेद्ध करती है। चूँकि विवादित भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये विवादित भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर वादीगण का कब्जा सह–हिस्सेदारान् की हैसियत से कानूनन चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ साजिश एंव साज–बाज कर रखी है और विवादित भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवाये बिना ही विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने, भूमि का कृषि से अकृषि में उपयोग–उपभोग करने पर आमादा है और येनकेन प्रकारेण वादीगण को उनके खातेदारी अधिकारों व विधिक अधिकारों से वैचित करने पर तुले हुए है ऐसी स्थिति में वादीगण को बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 विभाजन की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्राप्त करने का विधिक अधिकार हासिल है कि, वाद पत्र की मद नंबर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम जयरामपुरा, पटवार क्षेत्र जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् का कब्जे काश्त के मध्यनजर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से का पर्चा लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक से कायम किया जावें। चूँकि प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध साजिश एंव साज–बाज कर रखी है और वादीगण को येनकेन प्रकारेण बाहुबल के आधार पर विवादित भूमि से बेदखल करने, बाहुबल के आधार पर विशेष भू–भाग पर नाजायज कब्जा करके उस पर पुख्ता निर्माण करके उसका कृषि से अकृषि में उपयोग करने एंव विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण इत्यादि करके खुर्द–बुर्द करने पर तुले है जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है इसके विपरीत वादीगण को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वे प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दें कि, वाद पत्र की मद नंबर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम जयरामपुरा, पटवार क्षेत्र जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् का बिना विधिक विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

करवाये विवादित भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर नाजायज कब्जा करने तथा कृषि से अकृषि में उपयोग उपभोग करने, विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण करने से निषेद्ध रहें तथा प्रतिवादीगण वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्ध रहें तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा खाम एंव पुख्ता निर्माण नहीं करें और राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनायीं रखें। चूँकि प्रतिवादीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से वाज नहीं आ रहें है इसलिये वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय हाजा में यह दावा प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पडा है और चूँकि विवादित भूमि में वादीगण के रिकार्डेड खातेदारी अधिकार निहित है इसलिये वादीगण के अधिकार को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। बिनायदावा अन्तिम रूप से दिनॉक 13–05–2025 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादीगण को विवादित भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुवल के आधार पर कब्जा करके कृषि से अकृषि में उपयोग करने हेतु कच्चा पक्का निर्माण करने तथा विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण करके खुर्द–बुर्द करने की एलानियों धमकी दी, जो निरन्तर जारी हैं। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी को लैण्ड होल्डर होने से प्रतिवादीगण संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, तथा उप पंजीयक रामपुरा डाबडी को प्रतिवादीगण संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। चूँकि प्रतिवादीगण विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करके वादीगण को उसके खातेदारी अधिकारों से वेंचित करने पर तुले हुए है। ऐसी स्थिति में मामला आपातकालीन प्रकृति का है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को धारा 80 सी० पी० सी० का नोटिस दिये बिना ही यह वाद संस्थित किया गया है। चूँकि मामला आपातकालीन प्रकृति का होनें से धारा 80 सी० पी० सी० के तहत नोटिस प्रेषित किया जाकर नोटिस की कानूनी म्यांद तक इन्तजार करने से प्रतिवादीगण अपने कुत्सित उद्देश्य में सफल हो जावेगें जिससे वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुतिकरण का मकसद ही सारहीन हो जावेगा इसलिये उक्त नोटिस की छूट प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80 (2) सी० पी० सी० पृथक से प्रस्तुत है जिसमें उल्लेखित तथ्यों के आधार पर उक्त नोटिस की छूट प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विवादित भूमि माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होनें से माननीय न्यायालय हाजा को वाद श्रवण एंव निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:23 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रतिवादी संख्या 1 जवाब दावा पेश करने हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब नहीं पेश करने पर इनका जवाब का अवसर दिनांक 24.07.2025 को बंद किया गया। प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई तथा वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर

प्राथमिक डिकी किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम जयरामपुरा, पटवार क्षेत्र जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 1386/1949 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1388 रकबा 1.8300 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/3076 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. जडावदेवी पत्नी लक्ष्मण हिस्सा–1/4 जाति– जाट सा. देह खातेदार, पतासीदेवी पत्नी बृजमोहन हिस्सा–1/4 जाति– जाट सा. देह खातेदार, लाडादेवी पत्नि रामनाथ हिस्सा–1/4 जाति– जाट सा. देह खातेदार, सन्तोषदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा–1/4 जाति– जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 1388/2 रकबा 1.1910 हैक्टेयर, 1386/1949/3 रकबा 0.4702 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. बजरंगसिंह पुत्र श्रीलाल हिस्सा–पूर्ण जाति– बडवा सा.देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 1388/1 रकबा 0.6390 हैक्टयर, 1386/1949/2 रकबा 0.1918 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8308 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. जडावदेवी पत्नि लक्ष्मण हिस्सा–1/6 जाति– जाट सा. देह खातेदार, पतासीदेवी पत्नि बृजमोहन हिस्सा–1/6 जाति– जाट सा. देह खातेदार, बजरंगसिंह पुत्र श्रीलाल हिस्सा–1/3 जाति– बडवा सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा, लाडादेवी पत्नि रामनाथ हिस्सा–1/6 जाति– जाट सा. देह खातेदार, सन्तोषदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा–1/6 जाति– जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 1386/1949/1 रकबा 0.0380 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक डिक्री अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

# अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

**(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)**

**पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी**
**आर.ए.एस**

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 66/2025 | वाद प्रस्तुति दिनांक – 19.05.2025

1. जडावदेवी पत्नी लक्ष्मण
2. पतासी देवी पत्नी बृजमोहन
3. लाडा देवी पत्नी रामनाथ
4. संतोष देवी पत्नी बाबूलाल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

**..........वादीगण**

**बनाम**

1. बजरंग सिंह पुत्र श्रीलाल जाति बडवा निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

**........प्रतिवादीगण**

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955**

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. जडावदेवी पत्नी लक्ष्मण हिस्सा–1/4 जाति– जाट सा. देह खातेदार, पतासीदेवी पत्नी बृजमोहन हिस्सा–1/4 जाति– जाट सा. देह खातेदार, लाडादेवी पत्नि रामनाथ हिस्सा–1/4 जाति– जाट सा. देह खातेदार, सन्तोषदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा–1/4 जाति– जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 1388/2 रकबा 1.1910 हैक्टेयर, 1386/1949/3 रकबा 0.4702 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. बजरंगसिंह पुत्र श्रीलाल हिस्सा–पूर्ण जाति– बडवा सा.देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 1388/1 रकबा 0.6390 हैक्टयर, 1386/1949/2 रकबा 0.1918 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8308 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. जडावदेवी पत्नि लक्ष्मण हिस्सा–1/6 जाति– जाट सा. देह खातेदार, पतासीदेवी पत्नि बृजमोहन हिस्सा–1/6 जाति– जाट सा. देह खातेदार, बजरंगसिंह पुत्र श्रीलाल हिस्सा–1/3 जाति– बडवा सा. देह खातेदार सहित हिस्सा–1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा, लाडादेवी पत्नि रामनाथ हिस्सा–1/6 जाति– जाट सा. देह खातेदार, सन्तोषदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा–1/6 जाति– जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 1386/1949/1 रकबा 0.0380 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा

उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख **01.09.2025** को जारी किया।

दस्तखत----
ओहदा----

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

| मुददई | रूपये | पैसे | मुददायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – | स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | | स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महन्ताना वकील | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बबत् इजराय हुक्मानामा | 4 रूपये | | बबत् इजराय हुक्मानामा | | |
| मुतफरित | | | मुतफरित | 4 रूपये | |
| मीजान | | | मीजान | | |

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:23 IST
Reason: SelfAttested

**जमाबंदी इन्द्राज**

| क्र. सं. | नाम खातेदार | ख.न. | रकबा |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. जडावदेवी पत्नि लक्ष्मण हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>2. पतासीदेवी पत्नि बृजमोहन हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>3. बजरँगसिंह पुत्र श्रीलाल हिस्सा-1/3 जाति- बडवा सा. देह खातेदार<br>राहिन हिस्सा-1/3 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा<br>4. लाडादेवी पत्नि रामनाथ हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>5. सन्तोषदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार, | 1388 | 1.83 |
| | | किता-1 | 1.83 |
| 2 | 1. जडावदेवी पत्नि लक्ष्मण हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>2. पतासीदेवी पत्नि बृजमोहन हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>3. बजरँगसिंह पुत्र श्रीलाल हिस्सा-1/3 जाति- बडवा सा.देह खातेदार<br>राहिन हिस्सा-1/3 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा<br>4. लाडादेवी पत्नि रामनाथ हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>5. सन्तोषदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार, | 1386/1949 | 0.70 |
| | | किता-1 | 0.70 |

**कुर्रेजात इन्द्राज**

| क्र.स. | नाम खातेदार | ख.न. | रकबा |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. जडावदेवी पत्नि लक्ष्मण हिस्सा-1/4 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>2. पतासीदेवी पत्नि बृजमोहन हिस्सा-1/4 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>3. लाडादेवी पत्नि रामनाथ हिस्सा-1/4 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>4. सन्तोषदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा-1/4 जाति- जाट सा.देह खातेदार, | 1388/2<br>1386/1949/3 | 1.1910<br>0.4702 |
| | योग | किता-1 | 1.6612 |
| 2 | 1. बजरँगसिंह पुत्र श्रीलाल हिस्सा-पूर्ण जाति- बडवा सा.देह खातेदार | [illegible]8/1<br>1[illegible]94[illegible] | 0.6390<br>0.1918 |
| | | किता -2 | 0.8308 |
| 3 | 1. जडावदेवी पत्नि लक्ष्मण हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>2. पतासीदेवी पत्नि बृजमोहन हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>3. बजरँगसिंह पुत्र श्रीलाल हिस्सा-1/3 जाति- बडवा सा.देह खातेदार<br>राहिन हिस्सा-1/3 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा<br>4. लाडादेवी पत्नि रामनाथ हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार<br>5. सन्तोषदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा-1/6 जाति- जाट सा.देह खातेदार | 1386/1949/1 | 0.0380 |
| | | किता -1 | 0.0380 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:23 IST
Reason: SelfAttested

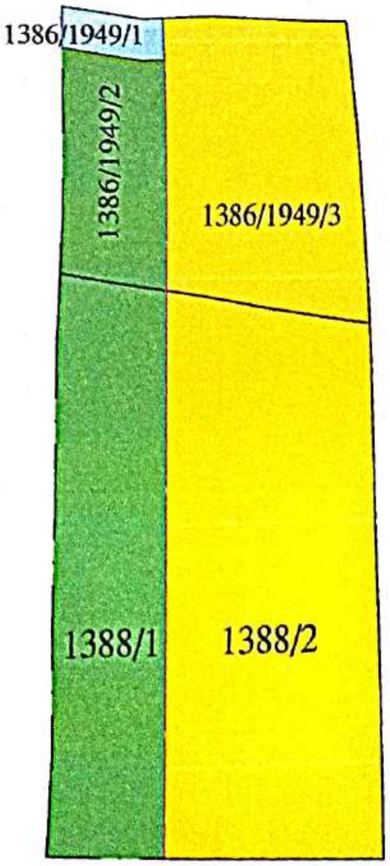


TDR 7/8/25

07/8/25

07/08/25

BAJRANG SINGH S/O SHRI LAL

JADAV DEVI W/O LAXMAN
PATASI DEVI W/O BRIJ MOHAN
LADA DEVI W/O RAMNATH
SANTOSH DEVI W/O BABULAL

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:23 IST
Reason: SelfAttested

JADAV DEVI W/O LAXMAN
PATASI DEVI W/O BRIJ MOHAN
LADA DEVI W/O RAMNATH
SANTOSH DEVI W/O BABULAL
BAJRANG SINGH S/O SHRI LAL